तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3750/2024/चूरू हनुमान प्रसाद बनाम मीना वर्मा उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-6-2024	**एकलपीठ** **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** **उपस्थित :** श्री पूजा शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी । श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक कैवियटकर्ता। **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा– 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, चुरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि हाल प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद वास्ते घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी के विपक्ष से सांठ–गांठ की आशंका से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा एक मुंतकिल प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, चुरू के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–5–2024 से खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से पूर्णरुप से प्रभावित हो गये है और वे अप्रार्थीगण के पक्ष में अवांछित रुप से निर्णय पारित करने में आमादा है। अप्रार्थीगण धनाढ़य व्यक्ति है जिनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी को अपने प्रभाव में ले लिया है इसलिए ही वह उनको गैर कानूनी रूप से उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण में मदद कर रहें हैं, जबकि पीठासीन अधिकारी को विधि के प्रावधानों के अनुसरण में ही प्रकरण का न्यायोचित निर्णय पारित करना चाहिए। तारीख पेशी भी नजदीक से नजदीक दी जा रही है जिससे प्रार्थी को संदेह से परे यह विश्वास हो गया है कि उसे पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय नही मिलेगा। उनका यह भी तर्क है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण का निर्णय करना ही न्याय नही है,किन्तु उक्त निर्णय से दोनो पक्षों कों न्याय का आभास होना चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ परीक्षण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3750/2024/चूरू हनुमान प्रसाद बनाम मीना वर्मा उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा रजि. ए. डी. नोटिसों के बारे में कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया था फिर भी वादी के अधिवक्ता के द्वारा विधि की प्रक्रिया के विपरीत जाकर सीधे ही रजि. ए.डी. नोटिस प्रस्तुत कर दिये एवं नोटिसों के आधार पर न्यायालय ने तलबी पूर्ण मान ली इस आधार पर भी पीठासीन अधिकारी महोदय किसी एक पक्ष का गैर कानूनी रूप से साथ दे रहे हो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल कर देना चाहिए। अन्त में निवेदन किया कि प्रकरण को अन्य किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष मुन्तकिल किया जावे। 5— इसके विपरीत अभिभाषक कैवियटकर्ता का कथन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कथन मनगढन्त, बनावटी एवं काल्पनिक है। प्रकरण को केवल देरीना करने के कारण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी तरह से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जिसमें बेबुनियाद आधार लिये है, मात्र कयासों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार नही किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जिला कलक्टर, चुरू के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर द्वारा पत्रावली पर दिनांक 13—11—2022 की तारीख पेशी नियत थी, किन्तु इस दिवस अवकाश होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 14—11—2022 की पेशी पर ली गई, जो कि एक साधारण प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रार्थी का मुख्य कथन यह भी है कि न्यायालय के आदेश बिना सामान्य नोटिस जारी ना कर रजिस्ट्र्ड सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा सम्मन अथवा नोटिस जारी करने की मंशा दूसरे पक्ष को प्रकरण की प्रक्रिया में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की होती है, जो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी लिहाज से किसी भी पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाना उचित नहीं प्रतित होता है। निगरानी में वर्णित आधारों पर प्रकरण को मुन्तकिली करने का तात्पर्य यह होगा कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी को अपने कार्य में हतोत्साहित करना। इसका अर्थ यह नहीं कि पीठासीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3750/2024/चूरू हनुमान प्रसाद बनाम मीना वर्मा उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी के कार्य में बाधा उत्पन्न की जावे, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी आधारहीन व तथ्यहीन, तुच्छ व परेशानकारी एवं मात्र परिकल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया उचित प्रतित होता है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विस्तृत विवेचना के बाद निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। जिनके विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि धारा 230 अधिनियम, 1955 के अनतर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और सामान्यतः निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप उस स्थिति में ही किया जा सकता है जब कि आलोच्य आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई गंभीर त्रुटि हो। उक्त धारा 230 निम्न प्रकार हैः–

"230. Power of the Board to call for cases.- The Board may call for the record of any case decided by any subordinate court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-

(a) to have exercised jurisdiction not vested in it by law; or

(b) to have failed to exercise jurisdiction so vested; or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,

the Board may pass such orders in the case as it thinks fit."

उपरोक्त धारा 230 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि मण्डल द्वारा निगरानी के माध्यम से आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप उस स्थिति में ही किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वाराः–

(अ) उसमें निहित नहीं किये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया हो, अथवा

(ब) निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया गया हो, अथवा

(स) क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय गंभीर अनिमितता की गयी हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3750/2024/चूरू हनुमान प्रसाद बनाम मीना वर्मा उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तगत प्रकरण निगरानी प्रार्थनापत्र में यह अंकित करने की औपचारिकता अवश्य पूरी की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड़ होने से काबिल निरस्तनीय है, किन्तु निगरानी प्रार्थनापत्र में अथवा दौराने बहस यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आलोच्य निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस प्रकार उसमें निहित नहीं किये क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है अथवा निहित क्षेत्राधिकार का किस प्रकार गलत प्रयोग किया गया है अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय किस प्रकार गंभीर अनिमितता की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि उनका हस्तगत प्रकरण अधिनियम, 1955 की धारा 230 के दायरे में किस प्रकार आता है। इसके विपरीत मेरा मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आलोच्य आदेश से पीठासीन अधिकारी को अपने कार्य में हतोत्साहित न करने का न्यायोचित प्रयोजन सिद्ध होगा। 8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी ऐसी कोई त्रुटि दृष्टव्य नहीं है जो धारा 230 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। सारांशतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। फलतः उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में हस्तगत निगरानी खारिज की जाती है। बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	